पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 77वें सम्मेलन के समापन समारोह को सम्बोधित किया

सदस्यों को वेल में जाने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए - राज्यपाल

लखनऊः 1 फरवरी, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने आज विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 77वें सम्मेलन के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनतंत्र का तकाजा है कि जनभावना के काम में राज्यसभा एवं विधान परिषद की प्रबुद्धता बनी रहे। आवश्यक विधेयकों के प्रति ऐसा वातावरण बने कि जनहित के काम में रूकावट न आये। जनकल्याण हेतु आवश्यक विधियों का विधायन करना विधायिका का मूल कार्य है। जन आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने वाला प्रभावी विधायन तभी सम्भव है जब सदन के अन्दर बिलों पर पर्याप्त चर्चा किये जाने के बाद उन्हें पारित किया जाये। प्रायः देखा गया है कि दूरगामी महत्व के विधेयकोें को राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा अल्प चर्चा के बाद सदन में शोरशराबे के दौरान बिना पर्याप्त बहस के ही ध्वनिमत से पारित हुआ घोषित कर दिया जाता है। पीठासीन अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि विधेयक पर्याप्त चर्चा के पश्चात् ही पारित किये जायें। सदन की कार्यवाही की गुणवत्ता बढे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जनतंत्र के लिये अच्छी तरह से सदन का चलना जरूरी है।

श्री नाईक ने सदन की बैठकों के कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदस्यों को वेल में जाने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कड़ा निर्णय हो। अध्यक्ष को सबका समर्थन मिलना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी वेल में जाने को सख्ती से मना करते थे। सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से समस्याएं सुलझती हैं। सदन में प्रश्नकाल एवं शून्यप्रहर का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि प्रश्नकाल और शून्यप्रहर संसदीय परम्परा में महत्वपूर्ण होते हैं। सत्र की अवधि बढ़ाने हेतु सरकार को राजी करने का प्रयास हो। योग्य पद्वति से सदन चलता है तो अच्छे निर्णय हो सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि जब वे लोकसभा के सदस्य थे तो अध्यक्ष की अनुमति एवं सहयोग से विपक्ष में रहते हुए बम्बई का असली नाम मुंबई, सदन में वंदे मातरम्, सांसद निधि के साथ-साथ अनेक जनकल्याणकारी निर्णय हुए। सदस्य गंभीरता से काम करते हैं तो अध्यक्ष भी समर्थन करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अध्यक्ष एवं सभापति सदस्यों को बोलने का अवसर दें। Let the opposition have its say and the government its way. सदन के सभी सदस्यों से अनौपचारिक सम्बन्ध रखें परन्तु राजनीतिक दलों के नेता सदन से विशेष सम्बन्ध रखें। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी, निर्दलीय सदस्यों को भी अपनी बात रखने का अवसर दें।

राज्यपाल ने कहा कि सदस्यों द्वारा लाये गये प्रस्तावों एवं प्राइवेट बिलों पर यथासम्भव आधे घण्टे की चर्चा को प्रोत्साहित करें। सदन की कार्यवाही के रचनात्मक प्रसारण के लिए प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को प्रोत्साहित करें। सदन की कार्यवाही का संचालन मुस्कराते हुए करें परन्तु आवश्यक होने पर गंभीर मुद्रा में भी दिखें। डिप्टी स्पीकर एवं पैनल के सदस्यों में से एक टीम गठित करें और उन्हें कार्य करने का पर्याप्त अवसर दें। परन्तु सदन में आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी हस्तक्षेप करें। सदन की विभिन्न समितियों के सम्पर्क में रहें। यह सुनिश्चित करें कि सदन की समितियों के यात्रा कार्यक्रम फलदायी हों न कि केवल भत्ते के लिए। सदन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मधुर सम्बन्ध रखें और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष सदन के सत्र की अवधि छोटी नहीं रखने हेतु सरकारों को राजी करें एवं पीठ की गरिमा को बढ़ाने हेतु सतत् प्रयास करें।

श्री नाईक ने कहा कि विधान सभाओं व विधान परिषदों के अध्यक्ष व सभापति अपने-अपने सदनों के सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के संरक्षक होते हैं। यह पूरी तरह उन निर्भर करता है कि वे विशेषाधिकार सम्बन्धी किसी प्रश्न को अन्वेषण एवं रिपोर्ट हेतु विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित करते हैं अथवा नहीं। सदन के समस्त निर्णय अध्यक्ष

अथवा सभापति की अनुमति से ही सदन के बाहर के लोगों को सूचित किये जाते हैं। कई बार सदन के सदस्यों को यह शिकायत करते हुए सुना जाता है कि लोक सेवकों द्वारा उनके विशेषाधिकारों एवं पद की गरिमा का हनन किया गया है। अध्यक्ष और सभापति का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके सदन के किसी सदस्य के किसी विशेषाधिकार अथवा उनके पद की गरिमा के विपरीत किसी लोक सेवक द्वारा कोई अनुचित कार्य एवं व्यवहार नहीं किया जाये।

लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने राज्यपाल का परिचय कराते हुए कहा कि लोकसभा में उनके साथ वे काम कर चुकी हैं। श्री नाईक को संसदीय नियमों की गहन जानकारी है। वे पूरा अभ्यास करके सदन में जाते थे। लोकसभा में सदस्य रहते हुए कई बार उनसे अनेक विषयों पर चर्चा होती थी। उन्होंने बताया कि विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन अब नियमित रूप से आयोजित किया जायेगा।

इस अवसर पर अध्यक्ष, विधानसभा उत्तर प्रदेश, श्री माता प्रसाद पाण्डये ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा सभापति, विधान परिषद उत्तर प्रदेश, श्री गणेश शंकर पाण्डेय ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेल
31 जनवरी, 1 फरवरी, 2015, लखनऊ
ONFERENCE OF PRESIDING OFFICERS OF
LEGISLATIVE BODIES IN INDIA
31st January, 1st February, 2015, Lucknow

में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मे
31 जनवरी, 1 फरवरी, 2015, लखनऊ
CONFERENCE OF PRESIDING OFFICERS OF
LEGISLATIVE BODIES IN INDIA
31st January, 1st February, 2015, Lucknow